



—: आवश्यक सूचना :—

(विज्ञापन सं०-01/2020)

विज्ञापन संख्या 01/2020 के तहत विज्ञापित Cold Chain Technician के पद पर चयन हेतु दिनांक 02.03.2020 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसके आलोक में कुल 790 अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया है। उक्त पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं ToR में तकनीकी योग्यता MRAC Trade - Refrigerator in ITI अंकित है परन्तु अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन में तकनीकी योग्यता स्पष्ट नहीं रहने के कारण MRAC Trade - Refrigerator in ITI की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये गये लिंक पर दिनांक 21.08.2020 से 29.08.2020 तक मांगी गयी, जिसके आलोक में मात्र 281 अभ्यर्थियों के द्वारा ही उपलब्ध कराये गये लिंक पर उक्त जानकारी को अपडेट/उपलब्ध कराया गया। संभव है कि कोरोना महामारी/लॉकडाउन के कारण इतने कम संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा लिंक पर जानकारी उपलब्ध करायी जा सकी। इस परिप्रेक्ष्य में ऑनलाईन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को Document Verification/ Counselling में बुलाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर अपलोड/प्रकाशित कर दिया गया है। वांछित तकनीकी योग्यता MRAC Trade - Refrigerator in ITI धारक अभ्यर्थी को ही जॉचोपरांत Document Verification/ Counselling के लिए भेजा जायेगा। सभी संबंधित प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरांत मेधासूची का निर्माण किया जाएगा तथा रिक्ति के अनुसार अंतिम रूप से चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

2. अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु Counselling के लिए तिथि/समय/स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

पद का नाम	तिथि	समय	Sl. No. (प्रकाशित सूची के अनुसार)	अभ्यर्थियों की संख्या	स्थान
Cold Chain Technician	16.10.2020 (शुक्रवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 - 132	132	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना-14
		02:00 PM - 05:00 PM	133 - 264	132	
	17.10.2020 (शनिवार)	10:00 AM - 01:00 PM	265 - 396	132	
		02:00 PM - 05:00 PM	397 - 528	132	
	19.10.2020 (सोमवार)	10:00 AM - 01:00 PM	529-660	132	
		02:00 PM - 05:00 PM	661-790	130	

पहले चरण (Morning) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 09:30 AM एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 01:30 PM निर्धारित किया गया है।

उक्त निर्धारित तिथि को यदि Counselling में अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी।

3. Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को ससमय नियत स्थान पर निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं उसका एक स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित होंगे :-

- 02 (दो) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।
- जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
- Essential Qualification - से संबंधित डिग्री एवं अंक प्रमाण-पत्र

Essential Qualification : Cold Chain Technician

- Matriculation from any recognized board/institute.
- MRAC Trade (Refrigerator) in ITI from any Government or Government recognized private training institution

Preferred Experience

- Experience to keep and repair cold chain equipment in Govt. hospitals.

Rajesh



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



Desirable Skills

- Valid driving license of two wheeler.
- Basic knowledge of computer.

- (iv) फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा- मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।
- (v) आरक्षण का दावा करने संबंधित प्रमाण-पत्र। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र तथा क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र।
- (vi) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार / Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
- (vii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए जिलापदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
- (viii) अन्य कोई प्रमाण-पत्र जो लागू हो।

4.

आरक्षण का दावा करने संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है -

- (i) आरक्षण का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है)।
- (iii) पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित / विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (iv) पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।
- (v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी / अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- (vi) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब Counselling हेतु अनुसूचित जाति / जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (vii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार / Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
- (viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए जिलापदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।

5. उक्त पद हेतु आयु, कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए **Cut-off date 01.01.2020** होगी।

6. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाइट-www.statehealthsocietybihar.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/Email के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

(राजेश कुमार)

उपसचिव-सह-

प्रभारी, मानव संसाधन